



कार्यालय नगरपालिका परिषद नैनपुर जिला-मण्डला (म०प्र०)

Office of Municipal Council Nainpur, District - Mandla (M.P)
Phone No. 07646-240106, Email ID - cmonanpur@mpurban.gov.in



क्रमांक १६० / लो०नि०शा० / न०पा० / २०२६

नैनपुर दिनांक २४ / ०४ / २०२६

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीयनकृत ठेकेदार से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक ०२ अगस्त २०२१ से प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आर समस्त संशोधन सहित के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि लाख रुपये में	धरोहर राशि रुपये	निविदा फार्म का शुल्क	समयावधि	श्रेणी
2026_UAD_503158_1	मेन रोड इन्टेकवेल से डब्ल्यू.टी.पी. तक पुरानी पाईप लाईन बदलने का कार्य	29,52,110 /-	22,200 /-	5,000 /-	3 Month	New PWD Reg.

शर्तें- निविदा वेबसाइट <https://www.mptender.gov.in/> के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी।

- ऑनलाइन निविदा प्रपत्र 27/04/2026 से 29/05/2026 सायं 5:30 बजे तक खरीदे जा सकेंगे।
 - ऑनलाइन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 29/05/2026 सायं 5:30 बजे तक है।
 - अमानत राशि एवं अन्य निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज (हार्ड कापी) केवल ऑनलाइन मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 30/05/2026 से खोली जावेगी।
 - टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
(अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार
(स) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी नं।
 - टेण्डर फार्म के अनुसार "टेक्नीकल बिड" दस्तावेज।
 - सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
 - ठेकेदार के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद नैनपुर के पास सुरक्षित होंगे।
 - ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - निविदा में जी.एस.टी छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी का भुगतान तत समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
 - निविदा दर की सक्षम स्वीकृति पश्चात निविदा शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ति राशि अनुबंध के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
 - धरोहर राशि ऑनलाइन के माध्यम से ही मान्य होगी, बिना धरोहर राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
 - निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप -05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
 - अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट <https://www.mptender.gov.in/> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या नगरपालिका परिषद नैनपुर में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय प्राप्त की जा सकती है।
 - निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं हैं के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
 - निविदा से संबंधित किसी भी विवाद पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा साथ ही बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
 - योजना अंतर्गत शासन द्वारा प्रदाय राशि के आधार पर ही भुगतान यथासमय किया जावेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
 - निविदाकार द्वारा ऑनलाइन में लगाये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की स्कैन कापी स्पष्ट लगाये जाना अनिवार्य होगा। स्कैन कापी अस्पष्ट होने पर ई-निविदा में विचार नहीं किया जावेगा।
- नोट/अन्य शर्तें- (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाइन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा। (2) निविदाकार को ई.पी.एफ का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा। (3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, नैनपुर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, नैनपुर

पृ.क्रमांक 260/A/लो0नि0शा0/ई-निविदा/2028
प्रतिलिपि :-

नैनपुर,दिनांक 24/04/2028

1. अध्यक्ष महोदया नगरपालिका परिषद नैनपुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडला/बम्हनीबंजर/बिछिया/निवास एवं सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं कार्यालय सूचना पटल पर चरपा हेतु।
3. संपादक.....संस्करण की ओर उक्त विज्ञापित जनसंपर्क विभाग द्वारा वार्षिक स्वीकृत दर में एक दिवस प्रकाशन हेतु प्रेषित। भुगतान हेतु समाचार पत्र की 5 प्रतियो के साथ स्वीकृत दर के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद नैनपुर